

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ - /19, लखनऊ :: दिनांक : 14 : मई-2019,

**--: आदेश :-**

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर के पत्रांक-280/19 दिनांक 26.04.19 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64 (3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित द्वितीय अपील सख्या-241/01 वर्ष 90-91 सर्वश्री केमिको केमिकल्स, 132/212, टी0पी0नगर, कानपुर की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 28.05.2019 के लिए श्री विवेक कुमार दुबे एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम कानपुर, श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर को सम्मिलित करते हुए कानपुर में पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-14.05.19

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 754 /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/ पीठ चतुर्थ, कानपुर।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।